दैनिक **न्याय साक्षी**

छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

रायगढ़, मंगलवार 29 अक्टूबर 2024

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

गैंगस्टर अमन साव की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में सीजेएम कोर्ट ने जेल में बंद झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और तेलीबांधा शूटआउट के मास्टरमाइंड अमन साव की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यानि अनाम साव अब 11 नवंबर तक रायपुर जेल में ही बंद रहेगा। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश न करके रिमांड बढ़ाने का आवेदन लगाया था, जिसपर सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला सुनाया है। बता दें कि झारखण्ड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव फिलहाल रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। अमन को रंगदारी वसूलने और राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए गुरप के ऑफिस के बाहर कारोबारी पर फ यरिंग कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस अमन साव से पूछताछ कर रही है।

चिटफंड कंपनी का फरार आरोपी कोलकोता से हुआ गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा अंचल के कोतवाली थानांतर्गत दर्री रोड निवासी ने मानिकपुर चैकी में शिकायत दर्ज कराई थी, कि एक चिटफंड कंपनी में उसने 27 हजार रुपयों का बांड खरीदा था, जिसके बदले उसे रकम 2 से 3 गुना अधिक मिलने का वादा किया गया था। रकम मैच्योर होती उससे पहले ही चिटफंड कंपनी अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले ही दो कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि तीन कथित आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पकडऩे के लिए पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था। इस बीच तीन में से एक कथित फरार आरोपी कलकत्ता से भागने के फिराक में था, जिसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिलने के बाद मानिकपुर पुलिस की टीम कोलकाता रवाना हुई और उसे कोरबा लाई।

नेत्र सर्जन सहित तीन तत्काल प्रभाव से निलंबित

दंतेवाड़ा-रायपुर (आरएनएस)। सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान लापरवाही बरतने वाले एक डॉक्टर सहित नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नेत्र सर्जरी के दौरान मोतियाबिंद सर्जरी के निर्धारित प्रोटोकॉल का समुचित पालन नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर डॉ गीता नेताम नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैदे को भी निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर 2004 को जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान मरीजों के आंखों में संक्रमण की घटना घटित होने पर जांच कराई गई, जिसमें इन तीनों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। निलंबन अवधि में डॉक्टर गीता नेताम और नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबित अधिकारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बिना लाइसेंस के फटाका बेचते युवक पर हुई कार्यवाई

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा पुलिस ने दोंदेखुर्द में दबिश देकर बिना लाइसेंस के फटाका बेचते एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हजारों रुपए का फटाका जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोंदेखुद में दबिश देकर फटाका दुकान संचालित करते आरोपी गोकुल छेतीजा 49 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 5470 रुपए का फटाका जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने से चयनित अभ्यर्थियों की दीपावली की खुशियां हुई दोगुनी

- चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर जताया आभार
- पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों पर जनता की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री

रायपुर | आरएनएस

लंबे अरसे से सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर इस परीक्षा के रिजल्ट आज सवेरे घोषित कर दिए गए।

इस परीक्षा में 959 युवाओं का चयन सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर हुआ है। परीक्षाफल घोषित होने से उत्साहित अभ्यर्थियों ने आज नवा रायपुर सर्किट हाउस में मख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। चयनित अभ्यार्थियों में से लगभग 30 से 40 अभ्यर्थी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

भिलाई से आई वयोवृद्ध दुलारबाई देवांगन के नाती और नाती बहु का चयन इस परीक्षा में होने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि लंबे इंतजार के बाद उनके नाती तिलक देवांगन और नाती बहु भारती देवांगन का चयन हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद दिया। चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और अभ्यर्थियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री साय ने चयनित अभ्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा इस वर्ष आप सबकी दीपावली अच्छी होगी। आप लोग अपने चयन की खुशियां मनाएं। दीपावली तथा राज्य स्थापना दिवस पर दीप जलाएं।

मुख्यमंत्री ने चयनित उपस्थित अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोग बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। जनता के रक्षक के रूप में आप पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नक्सली चुनौती का सामना करने के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आप पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण के बाद चयनित अभ्यर्थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आगे भी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुसार कार्य कर रही है। सभी के सहयोग से हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। इस कार्य में आप सभी की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी चन्द्रखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में ज्वाईनिंग दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन दीपावली के कारण कल किया जा रहा है, इसमें आप लोग भी अपनी भागीदारी करें।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आप लोगों को देश की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करेंगे, साथ ही गैर कानूनी कार्यों पर नकेल कसने का काम भी करेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद आपके माता-पिता और परिवारजनों के चेहरे पर दिख रही खुशी मन को सुकुन देने वाली है।

इस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी नितिन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके प्रयासों से परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के पहले घोषित होने से त्यौहारों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। चयनित अभ्यर्थी निधि ने कहा कि आज चयनित उम्मीद्वारों के लिए खुशी का दिन है। चयनित सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर एडीजीपी एस.आर.पी. कल्लुरी, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत 2018 में शुरू हुई थी। पिछले वर्ष अगस्त-सितम्बर में इंटरव्यू हुआ था, तब से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का महत्वपूर्ण फैसला, मृत्यु पूर्व दिया बयान ही दोषसिद्धी के लिए विश्वसनीय माना जाएगा

बिलासपुर | आरएनएस

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने मुत्यु पूर्व बयान के आधार पर कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले फैसले के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे मृत्यु पूर्व बयान स्वीकार किए जाने चाहिए जिसमें बयान देने वाले या वाली बिा किसी दबाव व झलकपट से दूर पूरी मानसिकता के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपबीती बता रहा हो। डिवीजन बेंच ने इस टिप्पणी के साथ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम करमाडीह निवासी धरमदास चतुर्वेदी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील पेश की थी। 0 क्या है मामला ग्राम सिरसा निवासी गौतम धृतलहरे की शादी मृतक दुलौरिन बाई से एक साल पहले हुई थी। गौतम पर आरोप है कि पत्नी दुलौरिन बाई के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना तिथि 20/03/2012 को नायब तहसीलदारद्वारा मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था। मृत्यु पूर्व बयान में बुरी तरह घायल पत्नी ने बताया कि मामूली विवाद पर उस पर मिट्टी तेल डालकर पति ने आग लगा दी। मृतका की मां, पिता और बहन ने भी इसकी पुष्टि की। मृतका को इलाज के लिए पहले बलौदा बाजार के शासकीय अस्पताल लेकर आए थे। इसके बाद, उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर के मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गंभीर रूप से जलने के कारण बताया गया। मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने पति गौतम धृतलहरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के कोर्ट में प्रारंभ हुई। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर विश्वास नहीं किया और आरोपी पति को संदेह का लाभ देते हुए रिहाई का आदेश दिया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि सत्र न्यायालय विषय-वस्तु को समझने में पूरी तरह से विफल रहा। मृत्यु पूर्व बयान मृतक द्वारा मानसिक रूप से सचेत अवस्था में दिया गया था और नायब तहसीलदार सुंदरलाल हिरवानी द्वारा सिद्ध किया गया है। घटना सुबह 11 बजे हुई और मृत्यु पूर्व बयान दोपहर 1 बजे दर्ज किया गया, जो घटना के तुरंत बाद था, इसलिए ऐसे मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा करने के लिए कोई अस्पष्टता नहीं बची थी। स्वतंत्र गवाह होने के नाते, उक्त मृत्यु पूर्व बयान को खारिज नहीं किया जा सकता था। अधिवक्ता ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने और हत्या के आरोपी को दंड देने की मांग की।

नहर में नहाने के दौरान एक परिवार के तीन सदस्य बहे, महिला का शव बरामद, बच्चों की तलाश जारी

कोरबा | आरएनएस

कोरबा शहर के मध्य से होकर बहने वाली नहर में एक परिवार के तीन सदस्य बह गए। मां सुषमा मानिकपुरी और उनके दो बच्चे, 14 वर्षीय सिमरन और 8 वर्षीय प्रतीक, नहाने के दौरान पानी में बहने लगे। मां ने बच्चों को बचाने की कोशिश में नहर में छलांग लगाई। दो युवकों ने नहर में छलांग लगाकर बचाव कोशिश की, लेकिन मां सुषमा की मौत हो गई। उनकी लाश 1 किलोमीटर आगे मिली, जबकि दोनों बच्चों की तलाश जारी है। घटना की जानकारी 112 और पुलिस को सूचना दे दी गई है और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित है। जानकारी के अनुसार मैगजीन भाटा निवासी सुषमा मानिकपुरी अपने परिवार के साथ तुलसी नगर रातखार के मध्य निर्मित जोड़ा पुल के समीप नहाने आई थीं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए सभी संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन लेने जिले में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर

धमतरी-रायपुर | आरएनएस

कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन लेने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने विशेष शिविर आयोजित कर फसल चक्र परिवर्तन के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के चारों विकासखंडों में शिविर आयोजित किया गया। साथ ही अवकाश के दिन रविवार को फ़सल चक्र परिवर्तन के लिए ऋण देने बैंक खुले रहे। इसके साथ ही शिविर में राजस्व, कृषि, सहकारिता विभाग, सहकारी बैंक सहित सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। आज धमतरी विकासखंड के सहकारी समिति लोहरसी, तरसिंवा और देमार के पीपरछेड़ी, परसतराई एवं रांवा में शिविर लगाया गया। कुरूद विकासखंड के सहकारी समिति कोर्रा एवं भखारा अंतर्गत ग्राम सौराबांधा, रामपुर, बगदेही, गातापार और मगरलोड विकासखंड के सहकारी समिति मोहंदी, बेलरदोना, भेण्डरी, करेली बड़ी के संबंधित ग्राम तथा नगरी विकासखंड के फरसिया, साकरा, घुटकेल समितियों के ग्राम बोडरा, भोथली, घुटकेल और कसपुर में शिविर लगाया गया। आज आयोजित शिविर में 336 किसानों का 511 हे. रकबा का ऋण प्रकरण तैयार किया गया, जिसकी राशि एक करोड़ 79 लाख रुपए है। उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने बताया कि जिले में अब तक 1568 किसानों के 1550 हे. रकबा में दलहन, तिलहन, नगदी फ़सल के लिए कुल 2 करोड़ 69 लाख रुपए का ऋण प्रकरण तैयार किया गया है।

नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

राजधानी रायपुर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27.10.2024 को प्रार्थी मोरिस मसीह पिता अमोस मसीह निवासी रविशंकर शुक्ल नगर कुकुरखेड़ा थानासरस्वती नगर रायपुर ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2022 में भवानी शंकर तिवारी द्वारा उसे जलसंसाधन विभाग में सहायक ग्रेड-3 में अभ्यर्थी की आवश्यकता है यदि तुम्हारे जानकारी में कोई अभ्यर्थी हो तो बताना बोला गया, तब प्रार्थी अपने बड़े भाई मरकुस मसीह के संबंध में उससे चर्चा किया। आरोपी द्वारा उक्त पद में नौकरी के लिये 7 लाख रूपयें लगेंगे जिसमें 3 लाख 50 हजार रूपयें पहले देना है। बाकी का पैसा नौकरी लगने के बाद देना है बताया, तब प्रार्थी आईडीएफसी फस्ट बैंक एवं बजाज फायनेंस से लोन लेकर 02 लाख 50 हजार रूपयें प्रार्थी के बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद प्रार्थी द्वारा आरोपी से संपर्क कर नौकरी के संबंध में पुछने आरोपी टालमटोल करने लगा, और नौकरी न लगाकर ना ही रकम वापस कर धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को हरसंभव प्रयास कर पुलगांव दुर्ग से पकडक़र थाना लाया गया, पुछताछ पर प्रार्थी से नौकरी के नाम पररकम लेना एवं उक्त रकम ठेकेदारी एवं अपने अन्य निजी कार्य में खर्च कर देना बताया, कि आरोपी को प्रकरण में दिनांक 28.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी भवानी शंकर तिवारी के विरूद्ध वर्ष 2023 में थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 117/2023 धारा 420 भादवि का प्रकरण एवं वर्ष 2024 में कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 508/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि प्रकरण दर्ज है एवं कई और अपराध अन्य थानो में दर्ज होंने की जानकारी मिली है।

महिला की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने वाले तीन गिरफ्तार

कोरिया | आरएनएस

दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सूचक सोनसाय पण्डो, निवासी ग्राम सिंघोर चौकी रामगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि रात को उसकी पत्नी ललिता घर में सब को खाना खिलाकर सो गई थी, जो सुबह किसी वक़्त घर से निकलकर गोपद नदी के किनारे स्थित सरई के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त सूचना पर थाना सोनहत मर्ग क्र 46/2024 धारा 194 क्चहस्स् के अंतर्गत दर्ज किया गया। मृतिका के शव का पोस्टमार्टम डाक्टरो की टीम द्वारा किया गया, डॉक्टर ने शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हेमरेज शॉक, पोस्टमॉर्टम हैगिंग बताया तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मृतिका ललिता पण्डो की मृत्यु किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मारकर हत्या करना तथा हत्या पश्चात फांसी पर लटकाने से होना पाते हुए जांच में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 171/2024 धारा 103(1) क्चहस् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण से पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया, एसपी कोरिया द्वारा उक्त प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकडऩे हेतु निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट एवं गवाह मोहन पण्डो के कथन के आधार पर संदेही लक्ष्मनिया, सोमारसाय एवं सोनसाय तीनो निवासी ग्राम सिंघोर चौकी रामगढ़ से पूछताछ किया गया। आरोपिया लक्ष्मनिया पण्डो से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि दिनांक 23 अक्टूबर को दोपहर खाना बनाने की बात पर मेरा एवं मृतिका ललिता का झगड़ा हुआ था, जिससे मैंने मृतिका का गला पकडकर उसके सर को दिवाल में टकरा दिया था, जिससे मृतिका बेहोश होकर गिर गई और कुछ देर में उसकी मृत्यु होना बतायी, इसके पश्चात अंधेरा होने पर मैंने, सोमार साय व सोन साय के साथ मिलकर मृतिका ललिता के शव को नदी के पास ले जाकर और मृत्यु को फांसी का रूप देने के लिए सरई के पेड़ में फांसी पर लटका दिये थे। आरोपीगणो के विरुद्ध भली भांति अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण 1. लक्ष्मनिया पंडो पति सोमार साय उम्र 42 वर्ष, 2. सोमारसाय पण्डो पिता लालसाय पण्डो उम्र 43 वर्ष एवं 3. सोनसाय पण्डो पिता सोमारसाय पण्डो उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिघोर चौकी रामगढ़ थाना सोनहत जिला कोरिया छ.ग. को दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

नई औद्योगिक नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

- सीएम साय की अध्यक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, चुनावों, औद्योगिक प्रोत्साहन और जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि (14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनर्वैधिकरण करने का निर्णय लिया है। त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।